अतः पत्रावली सूत्रानुसार दिनांक 5-7-2021 को पेश हो।

रीडर

5-7-2021	वकीलों द्वारा कन्डोलेन्स। वास्ते जवाब T. I. प्रा०पत्र पत्रावली दि० 12-7-2021 को पेश हो। T. I. आदेश आगामी पेशी तक बढाया जाता है।
	उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)
12-7-2021	वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते जवाब T. I. प्रा०पत्र पत्रावली दिनांक 19-7-2021 को पेश हो। T. I. आदेश आगामी पेशी तक बढाया जाता है।
19-7-2021	वकील उभयपक्ष उप०। वकील अप्रार्थी जवाब प्रस्तुत करने को समय चाहते हैं। अतः वास्ते जवाब पत्रा० दि० 20-7-2021 को पेश हो।
20-7-2021	वकील उभयपक्ष उप०। वकील अप्रार्थी ने जवाब T. I. प्रा०पत्र एवं फर्द के साथ 15 दस्तावेज प्रस्तुत किए। बहस हेतु समय चाहते हैं। अतः वास्ते बहस पत्रावली दि० 23-7-2021 को पेश हो। T. I. आदेश आगामी पेशी तक बढाया जाता है।
23-7-2021	वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते [illegible] दि० 26-7-2021 को पेश हो। T. I. आदेश आगामी पेशी तक बढाया जाता है।
26-7-2021	वकील उभयपक्ष उप०। T. I. प्रा०पत्र पर बहस सुनी गई। T. I. प्रा०पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं इस न्यायालय द्वारा दि० 26-5-2021 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश वापस लिया जाता है। पत्रा० फैसल होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:14:02 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

25/2021

1.राधादेवी पत्नि स्व0 जुगनू
2. आकाश पुत्र जुगनू | नाबालिक द्वारा प्राकृतिक संरक्षिका
3. कपिल पुत्र जुगनू | माता राधादेवी पत्नी स्व. जुगनू
4. दानप्रकाश पुत्र किशनलाल
5. नेहा पुत्री जुगनू
6. पूजा पुत्री जुगनू
7. हरप्यारी पत्नी किशनलाल
समस्त जाति रैगर (जाटव) निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
——प्रार्थीगण

बनाम

1. राजूलाल पुत्र मीठालाल मीना निवासी ग्राम टुंडीला तहसील बामनवास
2. शिवकुमार पुत्र रामस्वरूप, महाजन निवासी लाटा हाउस के पास, उदेई मोड, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
3 तहसीलदार गंगापुर सिटी
——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से
श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, अप्रार्थी न0 1, 2 की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्ति है जिनकी तन्हा खातेदारी व आधिपत्य की भूमि आराजी ख0नं0 170 रकबा 0.55 है0 वाके ग्राम हिगोटिया तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर में स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की तन्हा खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिसमें अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा अधिकार निहित नहीं है, न ही कभी रहा है। न ही कभी हो सकता है। विवादित आराजी भूमि पर प्रार्थीगण प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से ही साल दर साल काश्त करते हुए लाभान्वित होते आ रहे हैं व वर्तमान में भी अपनी तन्हा खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि का उपयोग व उपभोग कर लाभान्वित होते आ रहे हैं। विवादित आराजी भूमि से अप्रार्थी सं0 1 व 2 का किसी प्रकार का कोई संबंध सरोकार हक हिस्सा अधिकार नही रहा है न ही वर्तमान में है। फिर भी अप्रार्थी सं0 1 व 2 अपने राजनैतिक प्रभाव व लाठी के जोर पर विवादित आराजी भूमि में जबरन प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में व प्रार्थीगण के उपयोग व उपभोग में अनुचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:14:02 IST
Reason: SelfAttested

EX

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

भी प्रकार का कोई [illegible] नहीं है। प्रार्थीगण [illegible] व्यक्ति है जो अपनी आराजी भूमि पर काश्त आदि कार्य करके अपना एवं अपने परिवार का गुजर बसर करते चले आ रहे है एवं वर्तमान में प्रार्थीगण अपनी तन्हा खातेदारी व कब्जे काश्त की विवादित भूमि पर अपनी भूमि की सुरक्षार्थ उक्त भूमि के चारो तरफ बाउण्ड्री बाल का निर्माण किया जा रहा है। इसमे भी अप्रार्थी सं0 1 व 2 अनुचित रूप से व्यवधान उत्पन्न करते हुए विवाद उत्पन्न कर रहे है तथा दिनांक 12.05.2021 को जब प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी भूमि पर बाउण्ड्री का निर्माण किया जा रहा था तब अप्रार्थी स0 1 व 2 अपने सहयोगियो एवं दीगर व्यक्तियों को साथ लेकर आ गया एवं विवादित भूमि में जबरन प्रवेश करने का असफल प्रयास करते हुए प्रार्थीगण को बाउण्ड्री बाल का निर्माण करने से रोकने लग गये एवं लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये तब पुलिस प्रशासन ने सूचना पर आकर अप्रार्थी सं0 1 व 2 को समझाया तथा अप्रार्थी सं0 1 व 2 अपने सहयोगियो व दीगर व्यक्ति के साथ वहां से चले गये परन्तु इसके उपरान्त अप्रार्थी सं0 1 व 2 बारम्बार प्रार्थीगण को विवादित भूमि बांवत् धमकी देते रहे तथा दिनांक 21.05.2021 को अप्रार्थी सं0 1 व 2 तथा उनके परिजन एकराय होकर विवादित भूमि पर आकर प्रार्थीगण को जान से मारने की धमकी देते हुए चेतावनी देने लगे कि इस भूमि पर तुम्हे काश्त नही करने देगें एवं इस भूमि पर कब्जा काश्त करके रहेगे और तुम्हे सुरक्षा दीवार नहीं बनाने देगें। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वे प्रार्थीगण की तन्हा खातेदारी व आधिपत्य की भूमि आराजी ख0न0 170 रकबा 0.55 है0 ग्राम हिगोटिया तह0 गंगापुर सिटी मे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त, बुबाई जुताई, कृषि कार्य, विकास कार्य तथा किसी भी प्रकार का सुधार कार्य करने कराने मे विवाद या दखलअंदाजी नही करे और ना ही किसी अन्य से करावे। उक्त भूमि मे स्थित पेड पौधो, कृषि संसाधनों, बाउन्ड्री, तारबंदी आदि को किसी प्रकार की क्षति नही पहुचावे, भूमि मे जबरन प्रवेश कर भूमि पर कब्जा करने का प्रयास नही करे, न करावें, भूमि से जबरन प्रार्थीगण को बेदखल करने का प्रयास न करे, ना करावे। [illegible] को उक्त भूमि मे सुरक्षा दीवार, बाउन्ड्रीवाल करने मे किसी प्रकार [illegible] व्यवधान उत्पन्न नही करे, ना करावे। स्वयं अपने सेवकों, साथियों, परिजनों, रिश्तेदारो, वारिसानों व सहयोगियो सहित ता फैसला वाद प्रतिबंधित रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:14:02 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]ा कलेक्टर
[illegible] (स0मा0)
उप जिला कलेक्टर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 बावजूद उपस्थित नहीं हुआ।

अप्रार्थी सं0 1, 2 की ओर से जबाब इस आशय का पेश किया गया कि विवादित भूमि को पूर्व में ही खातेदार द्वारा आवासीय प्रयोजन के लिये विक्रय किया जा चुका हैं समस्त भूमि में आवासीय मकान काफी लम्बे समय के बने हुये हैं तथा राज्य सरकार द्वारा भी उक्त भूमि में विकास के कार्य करवाये जा चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा रोड भी बनाई जा चुकी है विघुत लाईन भी पूरी कॉलानी में लगी हुई है तथा पूरी कॉलोनी में सिवरेज लाइन भी डल चुकी हैं। उक्त भूमि 30 साल से भी लम्बे समय से काबिल काश्त नहीं रही हैं। आवासीय प्रयोजन के रूप में काम में ली जा रही हैं। प्रार्थीगण द्वारा गलत रूप से उक्त भूमि अपनी खातेदारी में होना बताकर, काबिल काश्त होना बताकर उक्त दावा गलत रूप से पेश किया हैं जबकि भूमि पर अरसा करीब 30 साल से उनका कोई कब्जा नहीं है। बिना कब्जे के प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा चलने योग्य नहीं है खारिज होने योग्य है। इस भूमि में कॉलोनी अग्रवाल फार्म के नाम से बनी हुयी है। मामले मे अदालत हाजा के आदेश से तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा मौके की रिपोर्ट तैयार की गयी है जिसमें भी उक्त भूमि में आवासीय मकान बने होना, विघुत पोल लगे होना, सीवरेज लाईन डलना तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र हिंगोटिया का मुख्य रास्ता भी इसी भूमि में होकर जाना बताया है। कॉलोनी मे करीब 100 से अधिक मकानात बने हुये हैं। दि0 12–05–21 को एवं 21–05–21 को किसी प्रकार की कोई घटना ही घटित नहीं हुयी, प्रार्थीगण द्वारा तथ्यों को छुपाते हुये यह गलत दावा पेश किया है। प्रार्थीगण क्लीन हेण्ड से अदालत के समक्ष नहीं आये है। इसलिए उन्हे अस्थायी निषेधाज्ञा जैसी रेमेडी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। बिना कब्जे के प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी भी नहीं है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन ने प्रार्थीगण ने छायाप्रति नकल जमाबंदी संवत 2071–2074 ग्राम हिगोटिया खाता संख्या 33, छायाप्रति नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:14:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के जवाब के समर्थन ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से स्टाम्प पर लिखे गये लिखित पत्रो (1 लगायत 15) की छायाप्रतियाँ प्रस्तुत की है।

दावे मे प्रतिवादीगण की ओर से मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर इस न्यायालय द्वारा दावे मे वादग्रस्त भूमि ख0न0 170

जिला कलेक्टर
सिटी (स0मा0)
जिला कलेक्टर

ग्राम हिंगोटिया की मौके की स्थिति की रिपोर्ट मंगवाई गई। जो मूल वाद मे संलग्न है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है जो उनके द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति नकल जमाबंदी संवत 2071–74 ग्राम हिंगोटिया खाता संख्या 33 से स्पष्ट है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को भूमि का कोई बेचान नही किया है। यदि बेचान किया होता तो जमाबंदी मे इसका अंकन होता। जो दस्तावेज अप्रार्थीगण ने अपने जबाब के साथ प्रस्तुत किये है उनसे भी यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को कभी कोई भूमि का बेचान नही किया। वादग्रस्त भूमि आज भी प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे प्रार्थीगण को भूमि के उपयोग उपभोग मे किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने का अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है। जहॉ तक भूमि पर कब्जे का प्रश्न है तो खातेदार होने के नाते भूमि पर प्रार्थीगण का ही कब्जा माना जावेगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना प्रथम दृष्टया साबित है। फलस्वरूप अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विद्वान वकील ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को बरसो पहले ही विक्रय कर चुके है जो अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्रों की छायाप्रतियो से प्रमाणित है एवं मौके पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा नही है। यह बात तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि मे मकान बने हुए है, बाउन्ड्रीशुदा कई प्लाट बने हुए है, आवागमन हेतु भूमि मे रास्ता बना हुआ है, भूमि मे सीवरेज लाईन डली हुई है तथा भूमि के आस पास आबादी बसी हुई है। भूमि पर कब्जे के अभाव मे प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा या स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है क्योकि प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा प्रमाणित नही कर पाये है। अपने इस कथन के समर्थन मे अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने न्याय दृष्टान्त 2021 (1) डी.एन.जे. (राजस्व) पेज 69 प्रस्तुत किया है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष मे नही है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Upadhyay
Date: 2022.04.19 13:14:02 IST
Reason: SelfAttested

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र मे तीन बिन्दुओ 1. प्रथम दृष्टया केस 2. सुविधा संतुलन 3. अपूरणीय क्षति पर विचार किया जाना आवश्यक है।

इसके साथ ही कब्जे का बिन्दु भी इतना महत्वपूर्ण होता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत 2071–74 के अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है परन्तु अप्रार्थीगण की ओर से जबाब के साथ प्रस्तुत 15 किता छायाप्रति विक्रय पत्रों के अनुसार इस भूमि का भूखण्डो के रूप मे बेचान हो चुका है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत इन दस्तावेजो के खंडन मे प्रार्थीगण ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया यह माना जा सकता है कि वादग्रस्त भूमि का मौके पर भूखण्डो के रूप मे बेचान हो चुका है एवं भूमि पर वर्तमान मे काश्त नही होती है। इस सम्बन्ध मे इस न्यायालय द्वारा मंगवाई गई मौका रिपोर्ट मे भी तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अंकित किया है कि मौके पर उक्त खसरा नम्बर मे छितराई हुई आकृति मे पुख्ता मकान बने हुए है, बाउन्ड्रीशुदा कई प्लाट बने हुए है, आवागमन हेतु उक्त खसरा नम्बर मे एक रास्ता बना हुआ है एवं उक्त खसरा नम्बर के आस पास भी आबादी बसी हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मौके पर प्रार्थीगण भूमि पर कब्जे मे नही है। चूकि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र मे कब्जा महत्वपूर्ण बिन्दू है एवं कब्जे के अभाव मे प्रार्थीगण कोई रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नही रहते है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रमाणित नही होता है। इसी प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रमाणित नही होने के कारण सुविधा संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष मे नही जाते है। फलस्वरूप प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं इस न्यायालय द्वारा 26.5.2021 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश वापिस लिया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 26.7.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:14:02 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चोधरी)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)